



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इ०), प्रथम तल, नियर आई०एस०बी०टी०, माजरा, देहरादून
फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314 Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

जन सूचना

उविनिआ (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) विनियम, 2010 में प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप

विद्युत अधिनियम, 2003(अधिनियम) की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा बनाये गये उविनिआ (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) विनियम, 2010 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित अधिसूचना का प्रारूप आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in में अपलोड किये गये है।

अधिनियम की धारा 181 की सह धारा (3) के अन्तर्गत संशोधन हेतु प्रारूप विनियम पर सभी स्टेकहोल्डर अपने सुझाव/आपत्तियां, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 21.05.2012 तक पत्र अथवा ई-मेल या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझाव/आपत्ति/प्रतिवेदनों पर, विनियम को अन्तिम रूप देते समय विचार नहीं किया जाएगा।

वि०सं० : 06/12-13

सचिव